संख्या- 49 /2022/ 317 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 09 मार्च, 2022**

विषय- चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव का चौरी-चौरा जनपद गोरखपुर में भव्य समापन समारोह हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5024/सं0नि0-15(75)/2021-22 दिनांक 07 मार्च, 2022 तथा पत्र संख्या-5042/सं0नि0-15(75)/2021-22 दिनांक 08 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव के चौरी-चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 04 फरवरी, 2022 में सम्पन्न भव्य समापन समारोह में प्रतिभाग किये गये कलाकारों के मानदेय हेतु धनराशि रू0 1,74,200/- (रूपये एक लाख चौहत्तर हजार दो सौ मात्र) तथा अन्य व्यय हेतु धनराशि रू0 8,55,361/-(रूपये आठ लाख पचपन हजार तीन सौ इकसठ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 10,29,561/- (रूपये दस लाख उन्तीस हजार पॉच सौ इकसठ मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त धनराशि कुल धनराशि रू0 10,29,561/- (रूपये दस लाख उन्तीस हजार पॉच सौ इकसठ मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या 49 /2022/ 317 /(1)/चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in